संघे शक्ति सर्वदा सत्यमेव जयते लेखपाल संघ-जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजीकरण संख्या : 75-4/II-A/359,14-11-1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा ओमनगर रोड, आलमबाग बस स्टेशन के सामने, लखनऊ - 226005

email : lekhpal.up@gmail.com website : lekhpal.wordpress.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
मो0 : 9456225600
पत्राचार : मो शिवदयाल कम्पाउन्ड,
निकट आई. टी. सी., सहारनपुर 247001 (उ0प्र0)

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रदेश महामंत्री
मो0 : 9415281875
पत्राचार : कृष्णा नगर, देवरिया खास,
निकट गीता भवन, हनुमान मन्दिर, देवरिया (उ0प्र0)

उपाध्यक्षगण
दीपक त्यागी (पश्चिमी जोन) मो0 : 9536500281
भूपेन्द्र सिंह (मध्य जोन) मो0 : 9198895639
रामपूजन राम (पूर्वी जोन) मो0 : 9451510484

कोषाध्यक्ष
विनोद कुमार कश्यप मो0 : 9760398504

संगठन मंत्रीगण
सुदेश कुमार (पश्चिमी जोन) मो0 : 9758547258
मनोज त्रिपाठी (मध्य जोन) मो0 : 9415434880
विनोद यादव (पूर्वी जोन) मो0 : 9415678593

प्रदेश ऑडिटर
मूलचन्द पटेल मो0 : 9695863623

पत्रांक:355/प्र०म०/19. दिनांक 03/7/19....

सेवा में,

मा0 अध्यक्ष महोदय,
राजस्व परिषद, उ0प्र0।

विषयः– लेखपालों के अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण में मा0 महोदय की बैठक दिनांक 16 जुलाई 2018 में लिये गये निर्णय की भावना के विपरीत शासनादेश 23 अगस्त 2018 के अनुपालन में मात्र खानापूर्ति किये जाने विषयक।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि उ0प्र0 लेखपाल संघ की मांग पर मा0 महोदय की विशेष अनुकम्पा के कारण लेखपालों को अपने सर्विस अवधि में एक बार पूरे उ0प्र0 के किसी मण्डल से किसी दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण का एक अवसर उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश दिनांक 23 अगस्त 2018 निर्गत किया गया था जिसमें मा0 राजस्व परिषद को एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण हेतु अधिकृत किया गया था। उक्त स्थानान्तरण के लिये मा0 परिषद द्वारा आनलाईन आवेदन मांगे गये थे जिसमें लगभग 2800 लेखपालों के द्वारा स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया गया था परन्तु मा0 परिषद द्वारा मात्र 270 लेखपालों के स्थानान्तरण ही किये गये जिसकी जनपदवार स्थानान्तरित किये गये लेखपालों की सूची साथ में संलग्न है। कम संख्या में स्थानान्तरण होने के कारण 2530 लेखपालों की आशाओं पर तुषारापात हो गया। यह भी अवगत कराना है कि उक्त स्थानान्तरण हेतु तैयार किये गये मानकों की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गयी जबकि उ0प्र0 लेखपाल संघ द्वारा निरन्तर मांग की जा रही थी कि एक निर्धारित मानक बनाकर पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानान्तरण किये जायें।

महोदय प्रदेश में लगभग 25000 लेखपाल कार्यरत हैं जिसमें से लगभग 10000 लेखपाल सीधी भर्ती 2015 के हैं। उक्त सीधी भर्ती में लगभग 2000 महिला लेखपाल कार्यरत हैं। कुछ लेखपाल अपने पत्नी, बच्चों एवं बीमार माता पिता से 500 से 1000 किमी की दूरी पर तैनात हैं। कुछ महिला लेखपालों की शादी अपने जनपद के आस–पास के जनपदों में तय हुई है। इन समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये ही महोदय ने एक बार अपने गृह मण्डल में जाने की सुविधा प्रदान की थी किन्तु मा0 राजस्व परिषद द्वारा उक्त भावना एवं मानवीय दृष्टिकोण के विपरीत कुल लेखपालों का 1 प्रतिशत (270 लेखपाल) ही स्थानान्तरण किया गया है जिसमें किसी पारदर्शी नीति का भी निर्धारण/पालन नहीं किया गया है। किसी जनपद से 30 लेखपाल स्थानान्तरित कर दिये गये तो किसी जनपद से एक भी नहीं। 21 जनपद ऐसे है जिससे एक भी लेखपाल स्थानान्तरित नहीं किये गये और 18 जनपदों से मात्र एक–एक लेखपाल का ही स्थानान्तरण किया गया है। जिन लेखपालों की तैनाती अपने गृह जनपद से समीपवर्ती जनपदों में थी उनका स्थानान्तरण कर दिया गया परन्तु 500–1000 किमी दूरी पर तैनात लेखपालों का स्थानान्तरण नहीं किया गया। पश्चिम के ऐसे भी कई जनपद हैं जिनसे मात्र 4–5 लेखपालों ने आवेदन किया था और उनके स्थानान्तरण से रिक्तियों के संतुलन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना था फिर भी उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया। पति–पत्नी दोनों ने आवेदन किया था, पति का स्थानान्तरण कर दिया गया किन्तु पत्नी का स्थानान्तरण नहीं किया गया जिससे अब पति–पत्नी 800 किमी की दूरी पर अलग–अलग नौकरी करने को विवश होंगे। ऐसी अनेक

विषमतायें स्थानान्तरण सूची में हैं। यदि पर्याप्त संख्या में स्थानान्तरण कर दिये जाते तो ऐसी विसंगति न उत्पन्न होती। इसके लिए साफ्टवेयर में निम्न विकल्प दिये जाने से समस्या का समाधान हो सकता है –

1– वांछित जनपद के विकल्प के स्थान पर गृह मण्डल के (गृह जनपद को छोड़कर) समस्त जनपदों का वरीयताक्रम में विकल्प की व्यवस्था की जाय।

2– पारस्परिक स्थानान्तरण (म्यूचअल) का विकल्प खोलने पर जनपदों की रिक्तियों के संतुलन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3– तैनाती जनपद एवं वांछित जनपद/मण्डल की दूरी को भी दृष्टिगत रखा जाय।

4– ऐसे जनपद जिन जनपदों से पूर्व में (दिनांक 30–06–2019 तक) स्थानान्तरण शून्य अथवा एक रहा है उनसें भी स्थानान्तरण करने पर विचार किया जाय।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त स्थानान्तरण उ0प्र0 लेखपाल संघ के अनुरोध पर मुख्य सचिव महोदय की बैठक दिनांक 16–07–2018 में लेखपालों की समस्याओं के दृष्टिगत एक बार गृह मण्डल में भेजने की सुविधा देने के निर्णय के क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 23–08–2018 के अनुपालन में किये जाने हैं जोकि वार्षिक स्थानान्तरण नीति से आच्छादित न होकर विशिष्ट सुविधा के दृष्टिगत किये जाने हैं। अतः स्थानान्तरण वंचित शेष लेखपालों के आवेदन पर पुनः मानवीय दृष्टिकोण के दृष्टिगत सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनका भी स्थानान्तरण कराने की कृपा करें।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

भवदीय

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
महामंत्री

प्रतिलिपिः

1– मा0 आयुक्त एवं सचिव महोदय, राजस्व परिषद, उ0प्र0 की सेवा में सहानुभूतिपूर्वक विचारार्थ।

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
महामंत्री